राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

SECRETARY'S DEPARTMENT (P R DIVISION)

प्रधान कार्यालय
सी–24, 'जी' ब्लॉक
बान्द्रा–कुर्ला संकुल
बान्द्रा (पूर्व)
मुंबई – 400 051

टेली : 26539746
फैक्स : 26530071
ई–मेल : pro@nabard.org

HEAD OFFICE
C-24, 'G' Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400051

Tel : 26539746
Telefax : 26530071
E-mail : pro@nabard.org

प्रेस विज्ञप्ति

12 अप्रैल 2010

नाबार्ड - नई ऊँचाइयाँ

वर्ष 2009-10 नाबार्ड के लिए ऐसा वर्ष रहा जिसमें नाबार्ड ने कई उपलब्धियाँ पहली बार हासिल कीं. नाबार्ड के अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र सरंगी ने वर्ष के दौरान अपने कार्यक्षेत्र के विविध आयामों में बैंक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने नाबार्ड द्वारा विकास और विनियमन के लिए की गई पहल के पीछे निहित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जिनके कारण भारत के किसानों और ग्रामीण आबादी तक पहुँचने में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं और फील्ड स्तर पर काम करने वाले सहयोगियों ने अपने कार्यनिष्पादन में बेहतरी लाने में सफलता पाई.

2009-10 के दौरान नाबार्ड के महत्वपूर्ण कार्य :

- पिछले चार वर्षों में नाबार्ड की ***कार्यशील निधि*** दुगनी हो गई और 31 मार्च 2010 को रु.1,36,500 करोड़ के स्तर को पार कर गई.

- 31 मार्च 2010 को पहली बार नाबार्ड का ***बकाया ऋण*** रु.1,00,000 करोड़ को पार कर गया.

- 2009-10 के दौरान बैंकों और सरकारों को ***संवितरित ऋण*** रु.54,772 करोड़ हो गया जो अब तक की अधिकतम राशि है.

- सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उत्पादन ऋण / फसल ऋण 2009-10 के दौरान रु.24,216 करोड़ हो गया जब कि 2008-09 में यह राशि रु. 16,803 करोड़ थी.

- कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों, गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में पूँजी निर्माण के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को 2009-10 में रु.12,035 करोड़ **निवेश ऋण** दिया गा जब कि 2008-09 में यह राशि रु. 10,572 करोड़ थी.

- राज्य सरकारों को **आरआईडीएफ** के अंतर्गत मंजूरी की राशि वर्ष के दौरान रु.1,00,000 करोड़ का स्तर पार कर गई.

- राज्य सरकारों को संवितरित **आरआईडीएफ ऋण** की राशि 2009-10 में रु.12,388 करोड़ रही, जबकि 2008-09 में यह राशि रु.10,459 करोड़ थी.

- पिछले चार वर्षों में ***भारत निर्माण*** के अंतर्गत ग्रामीण सड़क घटक के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को कुल रु.18,500 करोड़ का ऋण मंजूर और संवितरित किया गया.

विकास सहयोग

- 31 मार्च 2010 को ***वाटरशेड विकास*** परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और वह रु.318 करोड़ हो गई जब कि पिछले वर्ष की इसी तारीख को यह राशि रु. 166 करोड़ थी.

- ***ट्राइबल विकास*** के अंतर्गत ट्राइबल विकास निधि से 191 परियोजनाएँ मंजूर की गई जिनमें 1,65,280 परिवारों को शामिल किया गया. 31 मार्च 2010 तक रु.104 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

- 2009-10 के दौरान रु. 5 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता से 81 परियोजनाओं के माध्यम से कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए **कृषि नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी अंतरण** को सहायता दी गई.

- **स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज** के नाबार्ड के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 2010 को बैंक ऋण से जोड़े गए समूहों की संख्या 47 लाख हो गई जिससे लगभग 57 मिलियन ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ है.

- **सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि का उपयोग** : रु. 200 करोड़ की इस निधि का पूरा उपयोग किया गया जिसमें विभिन्न पात्र प्रयोजनों के लिए गैर सरकारी संगठनों के प्रति प्रतिबद्धता की राशि शामिल है. रु.81करोड़ का संवितरण (अनंतिम) हुआ. 2010-11 की केंद्रीय बजट घोषणा इसकी समूह निधि को बढ़ाकर रु. 400 करोड़ कर दिया गया ताकि देश में सूक्ष्म वित्त सहयोग की गुणवत्ता और सघनता में वृद्धि हो.

- **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम** : 50,000 समूहों के संवर्धन और लिंकेज के लिए 268 गैर सरकारी संगठनों को 2009-10 में रु. 25 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई जिसके साथ ही संचयी रूप से 3,42,000 समूहों के संवर्धन के लिए मंजूरी की राशि रु. 89 करोड़ हो गई.

- **परिक्रामी निधि सहायता सूक्ष्म वित्त** संस्थाओं को चयनात्मक आधार पर दी जाती है ताकि वे ऐसे गरीबों को आगे उधार दे सके जिन तक अभी नहीं पहुँचा गया है. इस प्रकार की सहायता का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म वित्त के विविध मॉडलों के साथ प्रयोग करना है ताकि ऋण देने की नवोन्मेषी वैकल्पिक प्रणालियों का पता चल सके और दीर्घकालिकता और प्रणालियों के अनुकरण के बारे में उपयुक्त जानकारी भी मिल सके. 2009-10 में 14 एजेंसियों को रु. 23 करोड़ की परिक्रामी निधि

सहायता मंजूर की गई. रेपको फाउंडेशन को सूक्ष्म वित्त गतिविधियों के लिए रेपको बैंक द्वारा दी गई सहायता के समक्ष उसे रु.30 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता मंजूर की गई.

- **संसाधन रहित क्षेत्रों में कार्य - प्रियदर्शिनी परियोजना**

उत्तर प्रदेश और बिहार के चुने हुए जिलों में **'मध्य गंगा समतल क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और आजिविका के लिए' प्रियदर्शिनी नामक कार्यक्रम शुरु** किया गया है. आठ साल तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए आईएफएडी निधिगत सहायता दे रहा है और भारत सरकार भी आंशिक वित्तीय सहायता दे रही है. इस कार्यक्रम में 7,200 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दीर्घकालिक और उन्नत आजिविका के लिए सहायता देकर 1,08,000 गरीब महिलाओं और किशोर वय की लडकियों का समग्रतामूलक सशक्तीकरण किया जाएगा.

- **किसान क्लब** : 2009-10 में नाबार्ड की सहायता से विभिन्न एजेंसियों ने 16,590 किसान क्लबों की शुरुआत की, जिसके साथ ही 31 मार्च 2010 को ऐसे **क्लबों की संख्या** लगभग **55,000** हो गई है.

- **किसानों को ब्याज सहायता** : किसान ऋणों की समय पर चुकौती के लिए प्रोत्साहित हों इस उ÷श्य से ब्याज सहायता योजना 2009-10 में जारी रखी गई. समय पर चुकौती करने वाले किसानों के लिए भारत सरकार ने 1% ब्याज राहत शुरु की. नाबार्ड द्वारा इसे सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कार्यान्वयन हेतु लिया गया है.

- **कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008** : नाबार्ड ने भारत सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत 2009-10 में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को **रु. 25,395 करोड़ जारी** किए.

- **किसान क्रेडिट कार्ड** : 2009-10 में बैंकों द्वारा किसानों को जारी किए गए नए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या 38 लाख थी. जिसके साथ ही योजना के शुरू होने से अब तक **कार्डों की संख्या 9 करोड़** हो गई है.

संस्थागत विकास सहायता

- वर्ष के दौरान 50,813 **पैक्स के पुनः पूँजीकरण** के लिए रु.7,972 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई जब कि 2008-09 में 33,406 पैक्स के लिए रु.4,874 करोड़ की सहायता जारी की गई थी. इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कुल पैक्स में से 61% (2008-09 तक 38%) पैक्स का पूर्ण पूँजीकरण हो चुका है. नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों के निष्कर्षों और उनके अनुपालन के कारण बैंकाकारी विनियमन अधिनियम की धारा 11(1) के अनुपालन न करने वाले सहकारी बैंकों की संख्या 113 से घटकर 90 हो गई.

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 राज्य सहकारी बैंकों और 97 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए जिससे ऐसे बैंकों की संचयी संख्या क्रमश: 22 और 172 हो गई.

वित्तीय समावेशन - महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- **वित्तीय समावेशन** के अंतर्गत रु.41 करोड़ की 47 परियोजनाएँ मंजूर की गईं. पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और बाधाग्रस्त जिलों को प्राथमिकता - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारिताएँ. 30 जिलों को शामिल करते हुए आईसीटी समाधान (स्मार्ट कार्ड, मोबाईल प्रौद्योगिकी आदि) से युक्त वित्तीय समावेशन हेतु अनुसंधान और विकास परियोजना शुरू की गई है.

- नाबार्ड को **स्कॉच फाउंडेशन से** वित्तीय समावेशन **पुरस्कार प्राप्त** हुआ है.

नैबकॉन्स

वर्ष के दौरान नैबकॉन्स ने अपना व्यवसाय बढ़ाकर रु. 22.17 करोड़ कर लिया. इसने इस वर्ष **केनिया में भी** अपना **कार्यालय** खोला.